राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. सेवाऐं राज. जयपुर

क्रमांक :– ई–18 / एम / स्थाईकरण / 2021 / दिनांक :

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत श्री सुभाष चन्द आर्य, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (से.नि.), खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहरोड अलवर जिनकी राज्य सेवा(संवर्ग) में प्रथम नियुक्ति तिथि 15.03.1983 है, को कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण तिथि 15.03.1983 से एतद द्वारा स्थाई किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– ई–18 / एम / स्थाईकरण / 2021 / 515 दिनांक : 09/04/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहरोड अलवर ।
3. श्री सुभाष चन्द आर्य, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (से.नि.) को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. आदेश / निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर